रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03112026-277599
CG-MH-E-03112026-277599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5667] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 5667] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना

मुंबई, 23 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20E के तहत

का.आ. 5899(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 04 फ़रवरी 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 507 (E) तारीख 28 जनवरी 2026 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात "मध्य रेल – इगतपुरी-पचोरा खंड (235 आर के एम/588 टी के एम) के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन उपविभागीय अधिकारी, नाशिक जिला नाशिक, महाराष्ट्र दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात "आपल महानगर" व "देशदूत" में तारीख 15-02-2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए थे ।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के **नाशिक जिले** के अंतर्गत **01 गाँव** का विशेष रेल परियोजना **"मध्य रेल – इगतपुरी-पचोरा खंड (235 आर के एम/588 टी के एम) के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य"** के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |

अ.क्र.	भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक	गावाचे नाव	उप विभाग	7/12 नुसार जमीनधारकाचे नाव	सर्वेक्षण/ गट क्रमांक	जमिन भाडेपट्टा प्रणाली	एकूण क्षेत्रफळ 7/12 नुसार (हे.आर.)	संपादित होणारी जमीन क्षेत्र (हे.आर.)	बांधकाम	झाडे	बोअरवेल/ विहीर
1	3/26	वंजारवाडी	नाशिक	आशा रामभाऊ पुंडे, सिंधुबाई संतु शिंदे, नवनाथ धोंडु शिंदे, सविता नारायण ढेमसे, त्र्यंबक परशराम कडभाने, हिराबाई संतु शिंदे, सुवर्णा संतु शिंदे, सुलोचना संतु शिंदे, सत्यभामा त्र्यंबक कडभाने, शोभा संतु शिंदे, रामभाऊ धोंडु शिंदे, गोरख संतु शिंदे, रविंद्र संतु शिंदे, मिराबाई धोंडु शिंदे, ममताबाई काशिनाथ मते	163/1	भोगवटदार वर्ग-१	1.9	0.25	-	-	-
2				ज्ञानेश्वर निवृत्ती शिंदे, मनोहर गणपत शिंदे, रामदास हनमंता शिंदे, संजय बैजुनाथ शिंदे, कैलास बैजुनाथ	163/2	भोगवटदार वर्ग-१	1.72	0.39	-	साग 2	-

अ.क्र.	भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक	गावाचे नाव	उप विभाग	7/12 नुसार जमीनधारकाचे नाव	सर्वेक्षण/ गट क्रमांक	जमिन भाडेपट्टा प्रणाली	एकूण क्षेत्रफळ 7/12 नुसार (हे.आर.)	संपादित होणारी जमीन क्षेत्र (हे.आर.)	बांधकाम	झाडे	बोअरवेल/ विहीर
				शिंदे, किसन बैजुनाथ शिंदे, गणेश चंदु शिंदे, दिपाली चंदु शिंदे, बंडु बैजुनाथ शिंदे, लता चंदु शिंदे २ ते ४ अ.पा.क. आई लता, अनिता चंदु शिंदे, शिवाजी देवराम शिंदे, रावसाहेब निवृत्ती शिंदे							
3				सखाराम दगडु शिंदे	163/3	भोगवटदार वर्ग-१	1.05	0.23	-	साग 2, आंबा 2	-
						कुल	**4.67 (हे.आर.)**	**0.87 (हे.आर.)**			

[फा. सं. G197/IGP-PC section/Vanjarwadi Vlg/Lahavit TSS/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd October, 2026

Under clause 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5899(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 507 (E) dated 28th January 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 4th February 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "Central Railway- Upgradation work of Electric Traction System from 1x25 KV to 2x25 KV Traction system for Igatpuri-Pachora Section (235 RKM/588 TKM)" in the District of Nashik in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Sub Divisional Officer, Nashik District Nashik, Maharashtra in daily newspapers namely "Aapal Mahanagar" & "Deshdut" Dated 15-02-2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **"Central Railway- Upgradation work of Electric Traction System from 1x25 KV to 2x25 KV Traction system for Igatpuri-Pachora Section (235 RKM/588 TKM)"** in the **District** of **Nashik** in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Case No.	Village Name	Sub Division	Name of Land Holders(s) as per 7/12	Survey/ Gat No.	Land Tenure System	Total area 7/12 as per (Ha.)	Approximate Land to be Acquired (Ha.)	Bore/well	Construction	Trees
1	3/26	Vanjarwadi	Nashik	Aasha Rambhau Punde, Sindhubai Santu Shinde, Navnath Dhondu Shinde, Savita Narayan Dhemse, Trimbak Parasharam Kadbhane, Hirabai Santu Shinde, Suvarna Santu Shinde, Sulochana Santu Shinde, Satyabhama Trimbak Kadbhane, Shobha Santu Shinde, Rambhau Dhondu Shinde, Gorakh Santu Shinde, Ravindra Santu Shinde, Mirabai Dhondu Shinde, Mamtabai Kashinath Mate	163/1	1	1.9	0.25	-	-	-
2				Dyaneshwar Nivritti Shinde, Manohar Ganpat Shinde, Ramdas Hanmanta Shinde, Sanjay Baijunath Shinde, Kailas Baijunath Shinde, Kisan Baijunath Shinde, Ganesh Chandu Shinde, Dipali Chandu Shinde, Bandu Baijunath Shinde, Lata Chandu Shinde 2 to 4 A.P.K. Aai Lata, Anita Chandu Shinde, Shivaji Devram Shinde, Raosaheb Nivritti Shinde	163/2	1	1.72	0.39	-	Teak 2	
3				Sakharam Dagdu Shinde	163/3	1	1.05	0.23	-	Teak 2, Mango 2	-
						Total	**4.67 (Ha.)**	**0.87 (Ha.)**			

[F. No. G197/IGP-PC section/Vanjarwadi Vlg/Lahavit TSS/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA